



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 14-09-2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 235/22 धारा 147/148/149/120बी/302/34 भादवि से सम्बन्धित जनपद बागपत के कुख्यात अपराधी अमरपाल उर्फ कालू को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 235/22 धारा 147/148/149/120बी/302/34 भादवि से सम्बन्धित जनपद के कुख्यात अपराधी अमरपाल उर्फ कालू को मा0 न्यायालय



बागपत से पुलिस अभिरक्षा रिमांड लेकर अभियुक्त को जिला कारागार जनपद गौतमबुद्धनगर से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर मु0अ0सं0 235/22 धारा 147/148/149/120बी/302/34 भादवि की घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 875/22 धारा 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

1-अमरपाल उर्फ कालू पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस ।
(सम्बन्धित मु0अ0सं0 235/22 धारा 147/148/149/120बी/302/34 भादवि थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत)

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अमरपाल उर्फ कालू-

क्र0सं0	थाना	जनपद	मु0अ0सं0	धारा
1	छपरौली	बागपत	167/03	25/27 शस्त्र एक्ट
2	छपरौली	बागपत	279/15	2/3 गैगस्टर अधिनियम
3	छपरौली	बागपत	359/12	216 भादवि
4	बडौत	बागपत	123/20	420,411 भादवि
5	छपरौली	बागपत	358/12	25 शस्त्र एक्ट
6	छपरौली	बागपत	184/15	25/27 शस्त्र एक्ट
7	छपरौली	बागपत	249/21	3/25/27 शस्त्र एक्ट
8	बडौत	बागपत	69/12	25 शस्त्र एक्ट
9	बडौत	बागपत	67/12	147,148,149,307 भादवि
10	बडौत	बागपत	66/12	399,402 भादवि
11	रमाला	बागपत	135/19	307 भादवि
12	रमाला	बागपत	.01/12	392,411 भादवि
13	छपरौली	बागपत	324/16	506 भादवि
14	बडौत	बागपत	220/12	2/3 गैगस्टर अधिनियम
15	छपरौली	बागपत	181/15	147,149,364,302,201,34 भादवि
16	छपरौली	बागपत	166/03	364/302/201 भादवि
17	झिंझाना	शामली	528/06	307 भादवि
18	झिंझाना	शामली	529/06	25 शस्त्र अधिनियम
19	मेडिकल मेरठ	मेरठ	76/07	147/148/336/506/307 भादवि
20	दोघट	बागपत	131/07	147/148/149/307/302 भादवि
21	दोघट	बागपत	241/07	25/27 शस्त्र अधिनियम
22	छपरौली	बागपत	197/09	25/04 शस्त्र अधिनियम
23	रमाला	बागपत	157/09	223/224 भादवि
24	छपरौली	बागपत	382/11	379/411 भादवि
25	शिवाजी	हरियाणा	224/12	13 जी एक्ट

	कालोनी			
26	छपरौली	बागपत	462/14	307 भादवि पुलिस मुठभेड
27	छपरौली	बागपत	463/14	25 शस्त्र अधिनियम
28	छपरौली	बागपत	183/15	504/506 भादवि
29	छपरौली	बागपत	158/15	392 भादवि
30	सिंघावली अहीर	बागपत	103/16	302/120बी भादवि
31	छपरौली	बागपत	एनसीआर 84/19	323/504 भादवि
32	छपरौली	बागपत	204/21	323/504/506/307/386 भादवि
33	बागपत	बागपत	236/21	147/224/332/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट
34	बडौत	बागपत	235/22	147/148/149/302/34 भादवि

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री नोवेन्द्र सिंह सिरोही थाना कोतवाली बडौत ।
- 2- व0उ0नि0 श्री शिवदत्त थाना कोतवाली बडौत ।
- 3- उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना कोतवाली बडौत ।
- 4- का0 403 नितिन त्यागी थाना कोतवाली बडौत ।
- 5- का0 166 कुलदीप देशवाल थाना कोतवाली बडौत ।
- 6- का0 1015 संजय थाना कोतवाली बडौत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 14-09-2022

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 371/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 04 बैटरी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11/09/22 को थाना कोतवाली खेकडा पर वादी संजीव कुमार प्रधान ग्राम पंचायत बसी विकास खण्ड खेकडा (बागपत) ने सूचना दी कि उसके गांव बसी मे सोलर लाइटे बैटरी वाली लगी हुई है । ग्राम पंचायत द्वारा नई 43 बैटरी लगायी गयी थी । पिछली कई दिनों में 20 बैटरी चोरी हो गयी है ।



विभिन्न स्थानों से 20 सोलर बैटरी व पैनल चोरी कर लिए हैं हमारे गांव के पास सुन्हैडा से भी करीब 09 बैटरी विभिन्न स्थानों से चोरी कर ली है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खेकडा पर मु0अ0सं0 371/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 371/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त

को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी की हुई 04 बैटरी (भिन्न- भिन्न कम्पनी) बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अखिलेश पुत्र गिरीश निवासी ग्राम सुन्हेडा थाना कोतवाली खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 04 बैटरी (भिन्न- भिन्न कम्पनी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मंजीत सिंह

2-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह

3-है0का0 29 सैहन्सरपाल सिंह

4- का0 789 योगेन्द्र सिंह



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 14.09.22

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 106 पच्चा देशी/अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से 106 पच्चा देशी/अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- राकेश पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी बी 6/77 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली ।

बरामदगी का विवरण-

- 106 पच्चा देशी/अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार ।
- 2-है0का0 292 सिराज खान ।
- 3-का0 774 धर्मेन्द्र सिंह ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 14.09.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाड़ी आयशर कैंटर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 12 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक गाड़ी आयशर कैंटर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 12 पशु बरामद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-जगदीश पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम चकजालू थाना डब्बावली जनपद सिरसा



हरियाणा ।

2-सुभाष पुत्र हंसराज निवासी एलनाबाद थाना एलनाबाद जनपद सिरसा हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 12 पशु ।
- एक गाड़ी आयशर कैन्टर HR- 55T- 7758

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार को0बागपत
- 2-का0 1130 सोनू तेवतिया को0बागपत
- 3-का0 158 मन्जीत सिंह को0बागपत



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 14.09.2022

थाना बालैनी पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वॉरंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1. दीपक पुत्र रामवीर निवासी ग्राम पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत ।
2. सत्यवान पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र०नि० श्री भूपेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2- उ०नि० श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3- का० 354 सतवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4- का० 809 शिवकुमार सौलंकी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 5- का० 980 अरविन्द कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।